अपील सूचना अधिकार संख्या 142/2020 (RCMS 2020/00242) गोपाल सिंह निवासी बी/बी–2, नवलख अपार्टमैंट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर
<u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

<u>12.01.2021</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति.जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2020 प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के वेतन में से 50,000/– रूपये का हर्जा खर्चा उसके दिलवाने एवं वांछित सूचना निःशुल्क दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गोपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> मैने दिनांक 11.08.2020 को एक शिकायती पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भेजा था। उक्त भेजे गये पत्र का विषय ''सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में पर्यावरण हो हानि पहुंचाकर, वातावरण को प्रदूषित कर, बाल श्रमिकों से काम करवाकर, मिट्टी चोरी कर, पेड़ों की अवैध कटाई कर, अवैध रूप से ट्यूबेल खोदकर, भूमि कनवर्जन कराये बिना, मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये बिना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से एनओसी प्राप्त किये बिना अवैध रूप से ईंट भट्टो का संचालन करने वाले पवन ईंट भटटा, [illegible] ईंट [illegible] ईंट भटटा आदि के भटटा मालिकों के विरुद्ध [illegible] उक्त ईंट भटटों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने हेतु [illegible] उक्त भेजे गये पत्र के [illegible] में निम्नलिखित सत्यापित सूचनाएं अतित्वरित प्रेषित करें :

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र की प्रति मय संलग्न दस्तावेज।
2. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र के डाक आवक जावक रजिस्टर की प्रति।
3. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र पर चलाई गई समस्त नोटशीटें।
4. यह है कि संबंधित समस्त पत्रावली के आगे व पीछे के फाईल कवर
5. यह है कि उक्त पत्र पर आपके विभाग कार्यालय की ओर से की गई समस्त कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज।
6. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र के संबंध में संधरित की गई समस्त पत्रावलियों में शामिल समस्त दस्तावेजों की कुल संख्या पत्रावलीवार बतावें।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )राजस्व/2020/104 दिनांक 06.01.2021 से अपीलार्थी को जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा उपखण्ड क्षेत्र सूरतगढ के इन्ट भट्टों बाबत प्रस्तुत शिकायत पत्र 11.08.2020 के क्रम में सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्नानुसार सूचना चाही गयी है :

क्र.स.	चाही गई सूचना	जवाब
1	उक्त भेजे गये पत्र की प्रति मय संलग्न दस्तावेज।	आप द्वारा प्रेषित पत्र दो पेज का है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न पत्र है।
2	उक्त भेजे गये पत्र के डाक आवक जावक रजिस्टर की प्रति।	दो पृष्ठ की फोटो प्रति संलग्न पत्र है।
3	उक्त भेजे गये पत्र पर चलाई गई समस्त नोटशीटें।	एक पृष्ठ नोटशीट की फोटो प्रति संलग्न पत्र है।
4	संबंधित समस्त पत्रावली के आगे व पीछे के फाईल कवर	एक मुख्य पृष्ट (आगे का) की फोटो प्रति संलग्न पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5	उक्त पत्र पर आपके विभाग कार्यालय की ओर से की गई समस्त कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज।	उपखण्डअधिकारी, सूरतगढ को प्रेषित पत्रांक 2760 दिनांक 21.09.2020 की फोटो प्रति संलग्न पत्र है।
6	उक्त भेजे गये पत्र के संबंध में संधरित की गई समस्त पत्रावलियों में शामिल समस्त दस्तावेजों की कुल संख्या पत्रावलीवार बतावें।	मूल प्रार्थना पत्र दो पेज, नोटशीट एक पेज व पत्र एक पेज की फोटो प्रति बिन्दु संख्या 1 से 05 के क्रम में संलग्न पत्र है।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 104 दिनांक 06.01.2021 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है इसलिए अपीलार्थी की अपील निष्प्रभावी हो चुकी है इसलिए इसी आधार पर अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:33 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर